

15/09/2022

पत्रावली आज प्राथमिकी जारि अचिवता के प्रार्थनापत्र पर सिनेय से तलब की जाकर पैठ है। वकील प्राथमिकी द्वारा प्रस्तुत पा.पत्र में निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है, कोई विवाद नहीं है रहा है इसलिए उक्त प्रकरण को वादीगण प्राथमिकी अग्रे नहीं चलाना चाहते हैं, इसी प्रकम (स्टेज) पर खारीज करवाना चाहते हैं। प्राथमिकी के पा.पत्र के आधार पर पत्रावली इसी स्तर पर छोड़ दिया जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली में अब किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर दाखिल दाफ्तर है।

20/11/2022

अचिवता
 से.
 को. गौरी
 २०

3

उपखण्ड अधिकारी
 गौरीगढ़ (राज.)

